कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल
:dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 2730 /12-1 नई टिहरी, दिनांक– 26/04/ 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल में कैथोली से नैखरी मो0 मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1294/12–1, दिनांक–26.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें जिससे कि विषयगत परियोजना में भारत सरकार के पत्र दिनांक–25.11.2016 से वांछित बिन्दुओ की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जो कि बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

क्र सं	बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	राज्य सरकार द्वारा जमा कि गई धनराशि से सम्बन्धित CA Scheme एवं NPV गणना की प्रति प्रेषित करें।	याचक विभाग द्वारा जमा की गई धनराशि से सम्बन्धित CA Scheme एवं NPV गणना की प्रति संलग्न है।
2	राज्य सरकार द्वारा ऑनलाईन प्रेषित की गई Kml File के DSS Analysis से ज्ञात होता है कि CA हेतु चयनित भूमि के 1.00 हे0 क्षेत्र में MDF विद्यमान है, जो कि CA के लिए उपयुक्त नही मानी जा सकती है। अतः CA हेतु भूमि अन्यन्त्र प्रस्तावित कर Revised Kml File, Digital Map and other Map इस कार्यालय में प्रेषित करें।	उक्त बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम घोघस, पट्टी–लामरीधार, तहसील–जाखणीधार के खसरा संख्या–1138 रक्बा 1.093 हे0, खसरा सं0 1180 रक्बा 0.632 हे0, खसरा सं0 1232 रक्बा 0.714 तथा खसरा सं0 1243 रक्बा 0.501 हे0 अर्थात कुल 2.940 हे0 का दिनांक–17.01.2025 को संयुक्त निरीक्षण कराया गया, जिसमें कि उक्त क्षेत्र को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है (**संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न**)। यह भी अवगत कराना है कि उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक–29.10.2021 से संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है (**अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न**)।
3	राज्य सरकार द्वारा CA Scheme रू0 893660.00 हेतु प्रेषित की गई थी जबकि जमा केवल 615536.00 रू0 ही किये गये है। अतः संशोधित CA Scheme की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करे।	उक्त बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव के साथ पूर्व में रू0 893660.00 की धनराशि की CA Scheme संधारित की गई थी, किन्तु भारत सरकार के पत्र दिनांक–17.08.2015 से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का आकलन प्रमुख वन संरक्षक (Hoff), उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–596/3–5–2 दिनांक–19.08.2015 से वित्तीय/वसूली वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित धनराशि रू0 209366.00 प्रति हे0 (**पत्र की छायाप्रति संलग्न**) से की गई थी, जो कि रू0 615536.00 आगणित हुई थी, जिसके अनुरूप ही उक्त धनराशि का डिमाण्ड नोट याचक विभाग को प्रेषित किया गया एवं तदनुरूप ही धनराशि जमा की गई है। संशोधित CA Scheme की प्रति संलग्न है।

अतः महोदय प्रश्नगत प्रकरण मे विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।(2-प्रतियों में)

o/c

भवदीय,

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

P.T.O